

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 710

दिनांक 04/04/2022

प्रार्थी :-

1.पाताराम पुत्र आईदानराम, जाति सुथार
निवासी सऊओं का तला, तहसील चौहटन
जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1.गोगाराम पुत्र दुर्गाराम 2.चोलाराम पुत्र पूनमाराम
3.रूपाराम 4.मोहन उर्फ मुन्ना पि.गुणेशाराम 5.चम्पादेवी
पत्नि गुणेशाराम 6.रामाराम 7.दूदाराम 8.किशनाराम पि.
करनाराम 9.राऊराम 10.भगाराम पि.खेराजाराम
11.पोकराराम पुत्र शेराराम 12.धन्नाराम पुत्र सेजाराम
13.चिमाराम पुत्र शेम्भूराम 14.तिलाराम 15.मूलाराम पि.
जगमालराम 16.धर्माराम पुत्र भेराराम, जाति जाट
निवासी सऊओं का तला, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 38/2019

दिनांक : 04.04.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र नेतराड के मौजा सऊओ का तला के खेत खसरा सं. 782 रकबा 45.12 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 711 to 714

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी पाताराम
3. विप्रार्थीगण गोगाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड चौहटन

दिनांक चौहटन 04/04/2022



उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड चौहटन

चौहटन